-1-

144

माननीय प्रशासनिक सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क्र. / 2014/ निगरानी R-4140-I/14

1 प्रेमनारायण पुत्र बैजनाथ

2 जुगलकिशोर छत्री पुत्र मुल्ले छत्री

3 संतोष, सुरेश, राजेन्द्र, हरीशंकर देवकीनंदन रघुवीरशरण, जगदीश, उत्तम, पुत्रगण स्व0 श्री मनीराम,

4 रघुवरकिशोर छत्री पुत्र श्री गौरीशंकर

समस्त निवासीगण ग्राममडोरपूर्वी, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़, म.प्र.

— प्रार्थीगण

बनाम

1 मनोहर पुत्र श्री कल्लू यादव

नि0 ग्राम मडोरपूर्वी तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2 म0प्र0 शासन — प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ़ पारित प्र.क्र. 22/12-13/अ-12 दि0 16-6-13 अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.स. 1959 के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है—

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत एवं अनियमित अनुचित अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

-2-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4140–एक/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, ओरछा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 22/12–13/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 16–6–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 मनोहर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की ग्राम मड़ोर पूर्वी तहसील ओरछा स्थित भूमि खसरा नं. 256, 257 एवं 258 आरे का सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से दिनांक 6–6–13 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 14–6–13 की तिथि नियत की एवं दिनांक 14–6–13 को स्वयं सीमांकन करते हुए सीमांकन स्वीकार किया गया और प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण समाप्त किया गया । राजस्व निरीक्षक के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि राजस्व निरीक्षक का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि सीमांकन कार्यवाही के पूर्व सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना नहीं दी गई है । यह तर्क दिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से सीमांकन किया जाकर आवेदकों के 70 वर्ष से अधिक पुराने मकानों	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को अनावेदक कमांक 1 की भूमि में दर्शा दिया गया है जबकि उक्त मकान अनावेदक की भूमि खसरा नं. 258 में नहीं बने हैं उक्त मकान आवासीय भूमि में है इसी प्रकार मंदिर एवं धर्मशाला को अनावेदक कमांक 1 की भूमि में दिखा दिया गया है जबकि मंदिर व धर्मशाला सार्वजनिक हैं, जो 30 वर्ष पूर्व से निर्मित हैं । मंदिर का निर्माण आवेदक संतोष द्वारा एवं धर्मशाला का निर्माण आवेदक रघुवर द्वारा कराया गया है । मंदिर से पहले सरकारी भी कुंआ बना हुआ है किंतु इसका कोई उल्लेख राजस्व निरीक्षक ने नहीं किया है । सीमांकन कार्यवाही की आवेदकों को कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । अनावेदक कमांक 1 की भूमि मंदिर, धर्मशाना एवं मकानों से दूर स्थित है । राजस्व निरीक्षक ने सारी कार्यवाही अनावेदक कमांक 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की है । यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कं. 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन में संहिता की धारा 129 के नियम 3 (ग) एवं 4 की पूर्ति नहीं की गई है जिसके तहत आवेदन में चौहद्दी कृषकों की जानकारी दिया जाना अनिवार्य है । इस कारण अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं था । यह तर्क दिया गया कि सीमांकन कार्यवाही में सरहदी भूमियों की कोई नाप नहीं की गई है अतः वैध सीमांकन की परिकल्पना समाप्त हो जाती है । मेढ़ों तिमेंढ़ों का मिलान किस बिंदु से किस बिंदु पर किया गया है इस संबंध में राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मौन है । अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2014 आर0एन0 69, 2015 आर0एन0 497 एवं 2001 आर0एन0 304 का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4140–एक/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए सीमांकन को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सभी सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया था, सीमांकन के समय सरहदी काश्तकार एवं अन्य व्यक्ति उपस्थित थे जैसाकि राजस्व निरीक्षक के पंचनामा से स्पष्ट है । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ अनावेदक कमांक 2 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है । 6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 6–6–13 को अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 256, 257 एवं 258 आरे के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया है । उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक ने उसी दिनांक को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदित भूमि के चौहद्दी कृषकों की जानकारी प्राप्त कर सूचना जारी की गई यह उल्लेख आदेश पत्रिका में किया गया है तथा सीमांकन हेतु दिनांक 14–6–13 नियत की गई है । जहां तक आवेदित भूमि के चौहद्दी कृषकों की जानकारी प्राप्त कर सूचना जारी करने का प्रश्न है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना अभिलेख से दिया जाना नहीं पाया जाता है । अभिलेख में एक सूचनापत्र संलग्न है जो केवल एक व्यक्ति प्रेमसिंह यादव तनय वीरसिंह यादव को जारी किया गया है और उसे दिनांक 14–6–13 को सीमांकन के समय उपस्थित होने को कहा गया है परंतु उस सूचना पत्र पर प्रेमसिंह यादव के हस्ताक्षर नहीं हैं । सूचना पत्र पर तीन व्यक्तियों अनावेदक कं. 1 मनोहर यादव, कोटवार दामोदर एवं एक अन्य व्यक्ति सोहनसिंह के हस्ताक्षर हैं ये सोहनसिंह कौन है, इसका कोई उल्लेख सूचना पत्र में नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही के पूर्व सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है और मनमाने तरीके से सीमांकन कार्यवाही की गई है । 7/ अभिलेख में अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदन में उनके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि की चारों सीमाओं में किस–किस भूमिस्वामी की भूमि हैं, जबकि संहिता की धारा 129 के नियम 3 (ग) के तहत उक्त जानकारी सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन में दिया जाना आवश्यक है । इस संबध में न्यायदृष्टांत 2014 आर0एन0 69 अवलोकनीय है । इस न्यायदृष्टांत में यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 129– सीमांकन – सटे हुए कृषकों को सूचना दी जाना चाहिए – सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात प्रतिकूलरूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए । 8/ जहां तक आवेदकों के इस तर्क का प्रश्न है कि राजस्व निरीक्षक ने जिस मंदिर और धर्मशाला को अनावेदक कमांक 1 की भूमि सर्वे नंबर 256 में बताया गया है वह मंदिर एवं धर्मशाला सार्वजनिक हैं जो 30	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4140–एक/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	साल पूर्व से निर्मित हैं तथा मंदिर से पहले काफी पुराना सरकारी कुंआ बना हुआ है, जिसका उल्लेख राजस्व निरीक्षक ने पंचनामे में नहीं किया है । इसी प्रकार जो मकान बने हैं वे सर्वे नंबर 258 के अंश भाग में न होकर आवासीय भूमि पर स्थित हैं जो लगभग 70 वर्ष से अधिक पुराने हैं । इस संबंध में मेरे द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किए गए पंचनामे का अवलोकन किया गया । पंचनामे में राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे नंबर 256 में मंदिर, धर्मशाला निर्मित होने तथा खसरा नं. 258 के अंशभाग में पूर्व से मकान निर्मित पाये जाने का उल्लेख किया गया है परंतु मंदिर और धर्मशाला का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया है इसका कोई उल्लेख पंचनामे में नहीं किया गया है । इसी प्रकार पूर्व से निर्मित जिन मकानों का उल्लेख पंचनामा में किया गया है वह किस–किस व्यक्ति के हैं और वे कब से बने हैं, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना तथा अवैधानिक रूप से की गई सीमांकन की कार्यवाही में मंदिर, धर्मशाला एवं मकानों का अनावेदक कमांक 1 की भूमि में स्थित होना मान्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं उसकी पुष्टि संबंधी जो आलोच्य आदेश है वह अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, ओरछा द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि..षकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16–6–13 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, ओरछा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि चार सदस्यीय टीम बनाकर सभी आवेदकों एवं सभी सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के तहत विधिवत संपन्न करायें और सीमांकन प्रतिवेदन आने के उपरांत आवेदकगण, सरहदी काश्तकारों एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का और अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित करें । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	